रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241438 CG-DL-E-27122022-241438

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 807] No. 807] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27 2022/पौष 6, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

सं. 32/2022 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 905(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "अर्ध निर्मित ओप्थलिमक लेन्सेस", जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 9001 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/6/2021-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितम्बर, 2022, जिसे दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

- (i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- (ii) विषयगत देश से होने वाले इस प्रकार के आयात से यहां के उद्योगों को सारवान क्षति हुई है; और
- (iii) इस प्रकार की सारवान क्षति विषयगत देश से हुए विषयगत माल के पाटित आयात के कारण हुई है;

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अत:, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ

8673 GI/2022 (1)

अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक/उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	9001 5000*	अर्धनिर्मित - ओप्थलमिक लेन्स**	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	कानेंट आप्टिक्स (जियांग्सु) कं., लि.	शून्य	पीस	युएस. डा.
2.	9001 5000*	- वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	शंघाई कानेंट आप्टिक्स कं., लिमिटेड	शून्य	पीस	युएस. डा.
3.	9001 5000*	- वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांग वेइक्सिंग आप्टिकल कं.लि.	शून्य	पीस	युएस. डा.
4.	9001 5000*	- वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	कार्ल जेसिस विज़न (चीन) लिमिटेड	शून्य	पीस	युएस. डा.
5.	9001 5000*	- वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	डायेजिओन डायेमयुंग आप्टिकल (हांगझोऊ) कं., लि.	शून्य	पीस	युएस. डा.
6.	9001 5000*	- वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्र. सं. 1, 2, 3, 4 और 5 पर उल्लिखित उत्पादकों के अलावा कोई भी उत्पादक	0.15	पीस	युएस. डा.
7.	9001 5000*	- वही-	चीन जन. गण. के अलावा कोई देश	चीन जन. गण.	कोई	0.15	पीस	युएस. डा.

^{*}सीमा शुल्क वर्गीकरण के संसूचक है और शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

^{**}विचाराधीन उत्पाद में प्लास्टिक से निर्मित अर्ध-निर्मित ओप्थलिमक लेंस है। अर्ध-निर्मित ओप्थलिमक लेंस ऐसे अर्ध-निर्मित ब्लैंक्स होते हैं जिनकी बाहरी सतह ओप्थलिमक गुणवता के लैंस से बनी होती है और पिछली सतह अ-निर्मित होती है। अर्ध-निर्मित ब्लैंक्स को तैयार लैंस के उत्पादन के लिए वांछित विहित पावर में सतहीकृत किया जाता है। अर्ध-निर्मित ओप्थलिमक लेंस अनेक रूपों, सिंगल विजन, बाई फोकल और मल्टीफोकल (प्रोग्रेसिव) प्रकारों में आते हैं जिनके विभिन्न रिफ्रेक्टिव इंडेक्सेस, सेगमेंट स्टाइल और आकार होते हैं।

नोट: उत्पाद के निम्नलिखित प्रकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है, यथा:-

- (i) 1.60 से अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले अर्ध-निर्मित ओप्थलिमक लेंस।
- (ii) पोलराइज्ड लेंसेस पोलराइज्ड लैंस में एक विशेष रसायनिक अणु होता है जिसे असंगत प्रकाश को लैंस से होकर गुजरने से विशेष रूप से रोका जाता है। केवल लाइट किरणें जो उर्ध्वाधर रूप से आंखों की ओर आती हैं, उनसे होकर निकल सकती हैं। ये लैंस किसी सतह से निकलने वाली सभी क्षतिज प्रकाश तरंगों को ब्लॉक करती हैं। इस फिल्टरिंग के परिणामस्वरूप जो छवि आपको दिखती है वह सामान्य से थोड़ी डार्क होती है। पोलराइज्ड लैंसों से वस्तएं साफ और स्पष्ट दिखती हैं और शब्द आसानी से देखे जा सकते हैं।
- (iii) पोलिकार्बोनेट लेंस पोलिकार्बोनेट एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है, जो काफी मजबूत होता है और उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों जैसे आईग्लास लैंस, कार हेडलाइट और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है। यह पोलिकार्बोनेट शीशे से 200 गुना से भी अधिक मजबूत होता है और प्राय: अन्य प्रकार के लैंसों से पतला होता है। चूंकि हल्के और पतले आईग्लास की नाक पर से फिसलने की संभावना कम होती है और प्रतिदिन पहनने के लिए अधिक आरामदायक होते हैं, इसलिए पोलिकार्बोनेट लैंसों का आईग्लास लेंस के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होता है।
- (iv) ट्रांजिशन लेंस ट्रांजिशन लेंस या फोटोक्रोमिक लेंस धूप में काले हो जाते हैं और कम उजाले या अंधेरे में हल्के रंग के होते हैं। ये आपकी पर्ची के चश्मे की तुलना में इन्हें पहनने के बिना सनग्लासेस के लिए आदर्श होते हैं या इन्हें बार-बार बदलना भी नहीं पड़ता है। ये इलैक्ट्रानिक डिवाइसों के हानिकारक चमक को भी कम कर सकते हैं, जो इन्हें उत्कृष्ट लेंस सामग्री बनाता है।
- (v) उच्च और विशेष प्रयोजन लैंस विशेष प्रयोजन लेंस वाइड एंगल फोटोग्राफिक लेंस होते हैं जिनमें विभिन्न फोकल लेंस या फीचर होते हैं जो विषय-वस्तु का आकार बदल देते हैं और विशिष्ट रूप से कैमरा में प्रयुक्त होते हैं। इनका उद्देश्य अधिक विषय वस्तु जैसे- वाइड एंगल, सुदूर वस्तुओं की बड़ी छिव बनाना टेलीफोटो, अलग अलग इमेज आकार के विकल्प सिहत जूम और छोटी वस्तुओं की बड़ी इमेज बनाना मैक्रो एनलार्जिंग सिहत विशेष प्रभाव डालना है।
- 2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अविध के लिए प्रभावी रहेगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/311/2022-टीआरयू- सीबीईसी] विक्रम विजय वानरे. अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2022

No. 32/2022-Customs (ADD)

- **G.S.R. 905(E).**—Whereas in the matter of 'semi-finished Ophthalmic Lenses' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under chapter heading 9001 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 6/6/2021-DGTR, dated the 29th September, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 29th September, 2022, has come to the conclusion that—
 - (i) the subject goods have been exported to India from the subject country below normal values;

- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject country;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entries in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entries in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entries in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entries in column (7), in the currency as specified in the corresponding entries in column (8), of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Heading/ Sub- Heading	Description of Goods	Country of origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	9001 5000*	Semi-Finished Ophthalmic Lenses**	China PR	Any country including China PR	Conant Optics (Jiangsu) Co., Ltd.	Nil	Piece	USD
2.	9001 5000*	-do-	China PR	Any country including China PR	Shanghai Conant Optics Co., Ltd.	Nil	Piece	USD
3.	9001 5000*	-do-	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Weixing Optical Co., Ltd.	Nil	Piece	USD
4.	9001 5000*	-do-	China PR	Any country including China PR	Carl Zeiss Vision (China) Limited	Nil	Piece	USD
5.	9001 5000*	-do-	China PR	Any country including China PR	Daejeon Daemyung Optical (Hangzhou) Co., Ltd.	Nil	Piece	USD
6.	9001 5000*	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than those mentioned at S. Nos. 1, 2, 3, 4 & 5	0.15	Piece	USD
7.	9001 5000*	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	0.15	Piece	USD

^{*}Customs classification is only indicative, and the determination of the duty shall be made as per the description of Product Under Consideration (PUC).

Note: The following types of products are excluded from the scope of product under consideration, namely:-

- (i) Semi-finished ophthalmic lenses having refractive index higher than 1.60.
- (ii) Polarized lenses Polarized lenses have a special chemical molecule which are lined up specifically to block irrelevant light from passing through the lens. Only light rays that approach your eyes vertically can fit through those openings. The lenses block all the horizontal light waves bouncing off from any surface. As a result of this filtering, the image you see is a bit darker than usual. Objects look crisper and clearer with polarized lenses, and details are easier to see.

^{**} The product under consideration is semi-finished ophthalmic lenses made up of plastic. Semi-finished ophthalmic lenses are semi-finished blanks which have the front surface of the lens made of ophthalmic quality and the back surface unfinished. Semi-finished blanks are surfaced to the desired prescription powers to produce finished lenses. Semi-finished ophthalmic lenses come in many forms, single vision, bifocal, and multifocal (progressive) types with different refractive indexes, segment styles and sizes.

- (iii) Polycarbonate lenses Polycarbonate is a specific type of plastic which is very strong and is used for many purposes such as eyeglass lenses, car headlights, and other industrial applications. Polycarbonate is over 200 times stronger than glass and is often thinner than other types of lenses. Since lighter and thinner eyeglasses are less likely to slip off your nose and are more comfortable for everyday wear, polycarbonate lenses are widely used as eyeglass lens.
- (iv) Transition lenses Transition lenses or photochromic lenses darken in the sunlight and lighten in softer light or the dark. These are ideal for sunglasses without having to wear them over your prescription glasses or having to constantly switch between the two. These can also cut down on the harmful glare of electronic devices making it an excellent lens material.
- (v) High and special purpose lenses Special purpose lenses are wide-angle photographic lenses with different focal lengths or features that change the size of subject matters and are typically used in cameras. They are intended to produce special effects such as including more subject matter wide angle, making larger images of distant subjects telephoto, optionally varying image size zoom and making large images of small objects macro enlarging.
- 2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/311/2022-TRU Section-CBEC] VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.